

इस बिल के भुगतान संबंधी निर्देश DIRECTIONS RELATING TO THE PAYMENT OF THE BILL

- (क) भुगतान करते समय यह बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
(A) When making payment this bill should be presented.
- (ख) इस बिल का भुगतान बिल जारी करने के 21 दिन के अन्दर होना चाहिए, चाहे बिल की यथार्थता में कोई अन्तर या विवाद ही क्यों न हो । यदि बिल में कोई त्रुटि स्वीकार कर ली गई हो तो अन्तर या विवाद के समाधान होने के बाद त्रुटि की राशि उपभोक्ता को भेजे जाने वाले अगले बिल में समायोजित कर दी जाएगी ।
(B) This bill shall be payable within 21 days from the date of issue notwithstanding any difference or dispute which may arise as to the accuracy of the bill. In the event of an error in this bill being admitted, the amount of error shall be adjusted in the next monthly bill presented to the consumer after settlement of the difference or dispute.
- (ग) इस बिल का भुगतान, सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के स्थल कार्यालय के कोषाध्यक्ष के पटल पर करें कोषाध्यक्ष के पटल के सिवाय कहीं और किए गए भुगतान के लिए विद्युत विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह भुगतान विभाग के किसी कर्मचारी के पास ही क्यों न किया गया हो ।
(C) This bill is payable at the respective site office of the Junior Engineer, Electricity Department, to the Cashier at the counter. The office shall not be responsible for any payment made to employee other than the Cashier at the counter.
- (घ) इस बिल का नकद भुगतान होना चाहिए परन्तु मनीआर्डर व स्थानीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रॉस चैक भी स्वीकार किया जा सकता है जो निर्धारित तिथि से दो दिन पहले तक स्वीकार किया जाएगा ।
(D) This bill is payable in cash, but Money Order and crossed cheque of local branch of SBI can also be accepted which should be presented atleast two days before due date.
- (ङ) यदि इस बिल का भुगतान मनीआर्डर द्वारा किया गया हो तो लेखा संख्या तथा बिल की तिथि मनीआर्डर कूपन पर लिखी जानी चाहिए तथा मनीआर्डर निर्धारित तिथि से दो दिन पहले कार्यालय में पहुँचना चाहिए नहीं तो बिल के कॉलम स्तम्भ "अ" में दर्शायी राशि देय हो जाएगी ।
(E) If this bill is paid by M.O. the Account No. and the date of bill should be entered on the due date otherwise the amount payable will be as shown in column "A" of the bill.
- (च) यदि इस बिल भुगतान चैक द्वारा भुगतान किया जाना हो तो चैक को विधिवत क्रॉस करके सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग के पक्ष में प्राप्त करके अदा किया जाना चाहिए तथा यह चैक भुगतान किया जाने वाले स्थल कार्यालय में निर्धारित तारीख से दो दिन पहले पहुँच जाना चाहिए अन्यथा बिल के कॉलम स्तम्भ "अ" में दर्शायी गयी राशि देय होगी ।
(F) If this bill is paid by cheque the duly crossed cheque to be drawn in favour of the concerned Assistant Engineer of Electricity Department and shall reach the site office at which payments due not less than two days before due date of this bill otherwise the amount payable will be as shown in column "A" of the bill.
- (छ) यदि इस बिल का भुगतान विधिवत क्रॉस किए गए बाहरी केन्द्र के चैक अथवा भारतीय स्टेट बैंक के आलावा अन्य किसी स्थानीय शाखा से प्राप्त चैक से किए जाने पर बैंक चार्ज चैक की राशि में शामिल किया जाना चाहिए । ऐसा न होने पर चैक को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
(G) If this bill is paid through duly crossed out station cheque or cheque other than branch of the State Bank of India, the Bank charge should be included in the amount of cheque failing which cheque shall not be accepted.
- (ज) विद्युत विभाग, बिल के भुगतान को चैक द्वारा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा, विभाग चाहे तो बिल के भुगतान के लिए नकद रकम अथवा स्थानीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम ड्राफ्ट की मांग कर सकता है ।
(H) The Department have the discretion either to refuse or to accept payment towards electricity and other charges made by cheques and shall also be on liberty to demand payment from any consumer in cash or by demand draft on local branch of SBI in respect of the charges due to the department.
- (झ) यदि बिल की दूसरी ओर निर्दिष्ट निर्धारित तिथि संयोग से कोई अवकाश दिवस हो तो आगामी कार्य दिवस निर्धारित तिथि मान ली जाएगी ।
(I) If the due date specified on the reverse of the bill by happens to be a holiday, the next working day will be treated as the due date.